न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 862/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 महाप्रबन्धक एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. जोधपुर		1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 प्रतिनिधि एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि.।
2 तहसीलदार बाडमेर अप्रार्थी।

आदेश

दिनांक 30-10-18

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उनकी कम्पनी एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. भारत सरकार का उपक्रम है जो पिछले 62 वर्षो से जिप्सम का दोहन कर उसकी आपूर्ति प्रमुखता से कृषि व सीमेन्ट क्षेत्र में की जा रही है। पूर्व में कम्पनी सिणधरी फर्टिलाईजर कोर्पोरेशन इण्डिया के नाम से थी, जो वर्ष 1956 से वर्ष 2003 तक जिप्सम खनन का कार्य कर रही थी। सन 2006 में कवास उतरलाई क्षेत्र में बाढ आने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया। वर्ष 2003 में माननीय डीआईएफआर के आदेशानुसार फर्टिलाईजर कोर्पोरेशन इण्डिया से डीमर्ज होकर एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. के नाम से रजिस्टर्ड हुई। डिमर्जर योजना के अनुसार कम्पनी की सभी सम्पतियां व अधिकार कम्पनी को स्वतः ही हस्तान्तरित हो गये। कम्पनी की निम्नांकित भूमि विभिन्न ग्रामों में स्थित है।

क्र. सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (बीघा/बिस्वा)	क्षेत्र का नाम
1	851	13.17	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
2	859/551	79.02	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
3	861/827	44.00	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
4	863/849	12.19	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
5	865/850	12.04	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
6	867/852	04.08	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
7	869/853	04.16	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
8	871/854	1.00	बान्दरा (सांसियो की बस्ती)
9	873/855	29.16	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
10	875/857	356.00	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
11	925/857	413.00	बान्दरा (सांसियों की बस्ती)
	कुल	**965.12**	
12	645	61.02	सरका पार (बान्दरा)
13	646	0.05	सरका पार (बान्दरा)
14	869/641	08.00	सरका पार (बान्दरा)
15	673/647	50.00	सरका पार (बान्दरा)
16	875/648	03.15	सरका पार (बान्दरा)
17	877/649	06.00	सरका पार (बान्दरा)
18	879/650	08.04	सरका पार (बान्दरा)
19	881/651	15.16	सरका पार (बान्दरा)
20	885/691	0.10	सरका पार (बान्दरा)
21	897/706	39.00	सरका पार (बान्दरा)
22	899/714	06.00	सरका पार (बान्दरा)
	कुल	**203.12**	

उक्त भूमियां कम्पनी के पूर्व नाम सिणधरी फर्टिलाईजर कोर्पोरेशन इण्डिया के नाम से है, जिसे अब नवीन नाम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. नाम शुद्ध कराने का निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तहसीलदार बाडमेर से तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम बान्दरा के उपवर्णित खसरान की भूमि पूर्व में जिप्सम कम्पनी सोनी रेन्ट माईनिंग कवास उतरलाई के नाम दर्ज है, जिसका वर्तमान नाम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. में हो चुका है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि उपवर्णित भूमि भारत सरकार के उपक्रम जिप्सम कम्पनी सोनी रेन्ट माईनिंग कवास उतरलाई के नाम दर्ज है। वर्तमान में यह कम्पनी माननीय बीआईएफआर के आदेशानुसार एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. के नाम रजिस्टर्ड है। उक्तानुसार नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार बाडमेर को उक्त नाम शुद्धि पर कोई आपति नही है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि भारत सरकार के उक्त उपक्रम का नाम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि में खातेदार का नाम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. शुद्ध किया जाता है:–

क्र. सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (बीघा/बिस्वा)	क्षेत्र का नाम
1	851	13.17	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
2	859/551	79.02	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
3	861/827	44.00	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
4	863/849	12.19	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
5	865/850	12.04	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
6	867/852	04.08	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
7	869/853	04.16	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
8	871/854	1.00	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
9	873/855	29.16	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
10	875/857	356.00	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
11	925/857	413.00	सांसियों की बस्ती (बान्दरा)
	कुल	**965.12**	
12	645	61.02	सरका पार (बान्दरा)
13	646	0.05	सरका पार (बान्दरा)
14	869/641	08.00	सरका पार (बान्दरा)
15	873/647	50.00	सरका पार (बान्दरा)
16	875/648	03.15	सरका पार (बान्दरा)
17	877/649	06.00	सरका पार (बान्दरा)
18	879/650	08.04	सरका पार (बान्दरा)
19	881/651	15.16	सरका पार (बान्दरा)
20	885/691	0.10	सरका पार (बान्दरा)
21	897/706	39.00	सरका पार (बान्दरा)
22	899/714	06.00	सरका पार (बान्दरा)
	कुल	**203.12**	

तहसीलदार बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त खसरों में तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक .... को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

Scanned by CamScanner